संख्या-36/2019/706/71-1-2018-जी-388/2013टी0सी0

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 08 मार्च, 2019

विषयः- महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 की रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष् निधि से पोषित लाला लाजपतराय स्मारक राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में प्रस्तावित बर्न यूनिट के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-984/60-3-2018(सा0)/15, दिनांक 14-09-2016, पत्र संख्या-1813/एफ0एम0यू0/2016-17, दिनांक 20-10-2016, तथा तदक्रम में महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 को प्रेषित पत्र संख्या-1035/71-1-2017-जी-388/2013, दिनांक 20-07-2017 तथा आपको सम्बोधित प्रधानाचार्य, लाला लाजपतराय स्मारक राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के पत्र संख्या-पी0सी0/2018/8311, दिनांक 16-1-2018 का क़पया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 की रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष् निधि से पोषित लाला लाजपतराय स्मारक राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में बर्न यूनिट के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत प्रायोजना प्रस्ताव पर वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2014 व 19-10-2015 के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति में विचारोपरान्त इसे वित्त विभाग के उपरिवर्णित शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश दिनांक 18-01-2018, सपठित शासनादेश दिनांक 12-6-2018 के द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति के विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु संदर्भित किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 की रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष् निधि से महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-984/60-3-2018(सा0)/15, दिनांक 14-09-2016, पत्र संख्या-1813/एफ0एम0यू0/2016-17, दिनांक 20-10-2016, तथा तदक्रम में महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 को प्रेषित पत्र संख्या-1035/71-1-2017-जी-388/2013, दिनांक 20-07-2017 से रू0 542;28 लाख सीधे प्रधानाचार्य, लाला लाजपतराय स्मारक राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के निवर्तन पर उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जा चुकी हैा अतः इस निर्माण कार्य हेतु उपर्युक्तानुसार गठित मूल्यांकन समिति द्वारा विचारोपरान्त उक्त प्रायोजना प्रस्ताव की लागत रू0 2,92,98,000/- + जी0एस0टी0 अतिरिक्त (नियमानुसार देय) (रू0 दो करोड़ बानवे लाख अट्ठानवे हजार मात्र एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त) निर्धारित की गयी हैा तदनुसार उक्त प्रायोजना प्रस्ताव हेतु रू0 2,92,98,000/- + जी0एस0टी0 अतिरिक्त (नियमानुसार देय) (रू0 दो करोड़ बानवे लाख अट्ठानवे हजार मात्र एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- इस हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत तथा प्रधानाचार्य के बैंक खाते में रक्षित धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 की लागत फिलहाल अनुमन्य नहीं की गयी है। प्रायोजना की लागत हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन: परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

4- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।

5- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-07-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा। आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्यमदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित कराए।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को कराए जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरानी सामग्री के समुचित निस्तारण के संबंध में महानिदेशक स्तर पर एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में प्राप्त सामग्री का उपभोग/निस्तारण वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए तथा निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9- आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में विचार नहीं किया जायेगा।

10- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या:-36/2019/706(1)/71-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, मेरठ यूनिट, मेरठ।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।